

उपरोक्त प्रार्थनों ने मेरे समक्ष उपस्थित होकर संतुष्ट प्रकार अभिलेख दुरस्ती हेतु निवेदन किया है एवं इस दुरस्ती को करने हेतु सहमति लिखित में दी गयी है। उप तहसीलदार द्वारा भी सहमति व्यक्त की गई है। उपत दुरस्ती पर्युक्त लिपिकीय त्रुटि सुधार की सहा में आती है। अंकित इन्द्राज दुरस्ती परस्पर सहमति से किये जाने हेतु निर्णय ने प्रार्थना की है तथा अभिलेख के आधार पर भी उक्त इन्द्राज दुरस्ती पर्युक्त अभिलेख में होने योग्य है। अतः निम्नलिखित इन्द्राज दुरस्ती किये जाने के आदेश दिये जाते हैं :-

पूर्व इन्द्राज				स्वीकृत किया गया इन्द्राज			
1	2	3	4	5	6	7	8
		खातदार का नाम	खसरा संख्या	रकबा	खातदार का नाम	खसरा संख्या	रकबा
653		दीनदयाल पुत्र रामलाल जाति- जाट साठकौसान जालौर	672 2-89	2-89	दीनदयाल पुत्र रामलाल जाति ब्राह्मण जाट मौलाना जालौर	672	2-89

क्रमांक :-

199

प्रतिलिपि पालनार्थ :- 12-10-21

- उप तहसीलदार, मौलासर

शिविर प्रमारी
शिविर प्रमारी
(अतिरिक्त जिला कलेक्टर, डीडवाना)
POKSA-2021, पं.स. मौलासर
दिनांक :-

क्रमांक :-

प्रतिलिपि पालनार्थ :-

- पंटवार हल्का..... को भेजकर लेख है कि अन्य न्यायालय का स्थगन नहीं हो तो निर्णयानुसार पालना सुनिश्चित करें।

शिविर प्रमारी
(अतिरिक्त जिला कलेक्टर, डीडवाना)
POKSA-2021, पं.स. मौलासर
दिनांक :-

उप तहसीलदार, मौलासर